दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

(पाँचवां प्रतिवेदन)

(23 मार्च, 2000 को सदन में प्रस्तुत)

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER BILLS AND RESOLUTIONS

<u>FIFTH REPORT</u>

(Presented on 23-03-2000)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति
का
पाँचवाँ प्रतिवेदन

(दिनांक 23.3.2000को प्रस्तुत)

समिति का गठन

1.	चौ. प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री मंगत राम सिंघल	सदस्य
3.	श्रीमती मीरा भारद्वाज	सदस्य
4.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	सदस्य
5.	श्री राम भज	सदस्य
6.	श्री जय भगवान अग्रवाल	सदस्य
7.	श्री राम सिंह नेताजी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री एस.के.शर्मा	सचिव
2.	श्री सिद्धार्थ राव	संयुक्त सचिव
3.	श्री के.एल.कोहली	अवर सचिव

प्र ति वे द न

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति की पांचवीं बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा के कक्ष में 16 मार्च, 2000 को 3·30 बजे अप· सम्पन्न हुई ।

समिति को क्रमशः 24·3·2000 और 31·3·2000 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के बारे में अवगत कराया गया, जिनकी प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग क्रमशः दिनांक 9·3·2000 एवं 15·3·2000 को सम्पन्न हुई। समिति ने विभिन्न संकल्पों के लिये उनके सामने दर्शाये गये समय का निर्धारण किया:-

24·3·2000 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

1· श्री जिले सिंह चौहान :
श्री अरविन्दर सिंह लवली :
श्रीमती मीरा भारद्वाज :

"यह सदन केन्द्र सरकार से मांग करता है कि संविधान की धारा 239 कक में उचित संशोधन करके दिल्ली में मंत्रियों की संख्या पर लगा प्रतिबन्ध तुरन्त हटाया जाये और उसे अन्य राज्यों के समकक्ष किया जाये ।" — 40 मिनट

2· श्री नन्द किशोर गर्ग :

"यह सदन मांग करता है कि दिल्ली की सभी सड़कों की देखभाल और रखरखाव हेतु दिल्ली राज्य सड़क निर्माण एवं रखरखाव निगम का गठन किया जाये ।" — 30 मिनट

3· श्री भीष्म शर्मा :

"यह सदन मांग करता है कि दिल्ली सरकार एवं इसके अधीनस्थ अन्य स्वायत्त एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये कानून बनाकर 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाये ।" — 20 मिनट

31 मार्च, 2000 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

.....

1. श्री रूप चन्द	यह सदन संकल्प करता है कि कालकाजी मंदिर, हनुमान मंदिर (कनॉट प्लेस), हनुमान मंदिर (जमुना बाजार) और आद्याकात्यायनी माता मंदिर (छत्तरपुर) को दिल्ली सरकार द्वारा कानून बनाकर अपने अधिकार में ले लिया जाये ।	30 मिनट
2. डॉ. हर्षवद्धन	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में डेयरी मालिकों द्वारा सफाई के सभी मानदण्डों एवं सम्पूर्ण शहर में मेन सीवरों के न टूटने एवं उनमें कूड़ा आदि न फंसने की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिये युद्ध-स्तर पर कदम उठाये जाएं । दिल्ली की सड़कों एवं गलियों में घूमते एवं समस्या उत्पन्न करते जानवरों को पकड़ने के लिये भी सुदृढ़ रूप से उपाय किये जायें ।	40 मिनट
3. श्रीमती किरण चौधरी	यह सदन संकल्प करता है कि भारत की सांस्कृतिक सम्पदा के साथ-साथ दिल्ली सरकार उन सभी प्राचीन स्मारकों को और इनके आस पास के उस क्षेत्र को भी सुरक्षित रखने के लिये तुरन्त कदम उठाएं, जो कि इस संबंध में बनाये गये भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।	20 मिनट

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

सचिवालय ने समिति को सूचित किया कि आगामी सत्र में पुरःस्थापन हेतु निम्नलिखित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई है :-

1. दिल्ली पर्यावरण संबंधी बीमबीमारियां (उपाय एवं नियंत्रण) विधेयक, 2000 - डॉ॰ हर्षवर्द्धन

2. दिल्ली यूनिट प्राइसिंग बिल, 2000 - श्रीमती किरण चौधरी

3. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (अमेंडमेंट) विधेयक, 2000 - श्रीमती अंजलि रॉय

4. दिल्ली जल बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2000 - श्री मुकेश शर्मा

5. दिल्ली महिला आरक्षण विधेयक, 2000 - श्री मुकेश शर्मा

समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दिन क्रम संख्या- (1), (2), (3) एवं (5) पर स्थित विधेयकों को सदन में पुरःस्थापित किया जाये ।

जहां तक क्रम संख्या-(5) पर स्थित विधेयक का संबंध है, विधि विभाग की सलाह के अनुरूप कि यदि किसी विधायक को किसी बोर्ड का चेयरमैंन बनाया जाता है और भत्ते एवं अन्य सुविधाएं दी जाती है, तो तब वह लाभ के पद का भागीदार हो जाता है और विधायक होने के नाते अयोग्य हो सकता है, अतः इस विधेयक को सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है ।

लम्बित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

समिति को पिछले सत्र के लम्बित पड़े हुए निम्नलिखित चार विधेयकों की स्थिति से अवगत कराया गया :-

1. दिल्ली पंजाबी एवं उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने सम्बन्धी विधेयक, 1999 - श्रीमती किरण चौधरी

समिति को सूचित किया गया कि इस विषय पर सरकारी विधेयक को केन्द्र सरकार की अनुमति मिल चुकी है जिसे इस सत्र में पुरःस्थापित किया जा सकता है।

2. दिल्ली जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 1999 - श्रीमती किरण चौधरी

समिति को सूचित किया गया कि संबंधित मंत्री ने सुझाव दिया है कि इस विधेयक को विचारार्थ सूचीबद्ध कर दिया जाये औरवह चर्चा का उत्तर देंगे तथा सदस्य से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करेंगे ।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा के सदस्य
(वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) विधेयक, 1999
- श्री मुकेश शर्मा

समिति को सूचित किया गया कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति एवं उपराज्यपाल के अनुमोदन की आवश्यकता है तथा सचिवालय दारा संबंधित विभागों से पहले ही आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध किया जा चुका है ।

4. दिल्ली अनिवार्य शारीरिक एवं खेलकूद शिक्षा विधेयक, 1999
- श्री मुकेश शर्मा

विधेयक को पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है और केवल तब ही विचारार्थ सूचीबद्ध किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र अधिनियम की धारा-22 के अन्तर्गत विधेयक पर विचार करने के लिये उपराज्यपाल की सिफारिश प्राप्त हो जाये । संबंधित विभाग को उपराज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये कहा गया है। विभाग के जवाब की प्रतीक्षा है ।

समिति ने श्री मंगत राम सिंघल एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री राम भज को सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्रस्तुत किया ।

(चौ. प्रेम सिंह)
सभापति
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

दिल्ली,
21 मार्च, 2000

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTH REPORT

(Presented on 23 March, 2000)

CONSTITUTION OF THE COMMITTEE

1.	Ch. Prem Singh, Hon'ble Speaker	Chairman
2.	Sh. Mangat Ram Singhal, MLA	Member
3.	Smt. Meera Bhardwaj, MLA	Member
4.	Sh. Arvinder Singh Lovely, MLA	Member
5.	Sh. Ram Bhaj, MLA	Member
6.	Sh. Jai Bhagwan Aggarwal, MLA	Member
7.	Sh. Ram Singh Netaji, MLA	Member

SECRETARIAT

1.	Sh. S.K. Sharma	Secretary
2.	Sh. Siddharth Rao	Joint Secretary
3.	Sh. K.L. Kohli	Under Secretary

R E P O R T

The Fifth meeting of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions was held in the Chamber of Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha on 16 March, 2000 at 2.30 P.M.

The Committee was informed about the Resolutions which have found place in the ballotting held on 9th March, 2000 and 15th March, 2000 which may be admitted on 24th March, 2000 and 31st March, 2000 respectively. The Committee recommended the allocation of time for the various resolutions as indicated against each :-

PRIVATE MEMBER RESOLUTIONS FOR 24th MARCH, 2000

1. Sh. J.S. Chauhan :
Sh. Arvinder Singh Lovely :
Smt. Meera Bhardwaj :

This House demands from Govt. of India that suitable amendments be made in Article 239 AA of the Constitution of India with a view to lift the embargo on the number of Ministers in the Govt. of NCT of Delhi thus bring Delhi at par with other States. — 40 minutes

2. Sh. Nand Kishore Garg :

This House recommends that a Delhi State Road Construction and Maintenance Corporation be constituted with a view to ensure upkeep and maintenance of all main roads in the NCT of Delhi. — 30 minutes

3. Sh. Bheeshm Sharma :

This House demands that 33% reservation be extended to women of Delhi domicile on all posts under Govt. of Delhi and other autonomous and local bodies by enacting suitable legislation. — 20 minutes

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS FOR 31st MARCH, 2000

1. Sh. Roop Chand :

This House resolves that Kalkaji Temple, Hanuman Temple (Connaught Place), Hanuman Temple (Jamuna Bazar) and Adyakatayayani Mata Temple (Chhatarpur), be taken over by the Govt. of Delhi by enacting a suitable legislation. — 30 minutes

2. Dr. Harsh Vardhan :

This House resolves that steps be taken at war footing to ensure compliance of all cleanliness norms by the dairy owners in the residential areas of Delhi and to prevent the explosion and blockage of main sewers all over the city. The mechanism of catching the stray cattles creating nuisance on Delhi roads and streets be also strengthened. — 40 minutes

3. Smt. Kiran Choudhry :

This House resolves that Delhi Government should take immediate steps to preserve monuments and the areas surrounding them which are not covered by Govt. of India Act on the subject, as also the Heritage. — 20 minutes

PRIVATE MEMBER BILLS

The Secretariat informed the Committee that notices of the following five Private Member Bills have been received for introduction in the ensuing Session :-

(i) The Delhi Environment Related Diseases (Prevention and Control) Bill, 2000
- by Dr. Harsh Vardhan

(ii) The Delhi Unit Pricing Bill, 2000
- by Smt. Kiran Choudhry

(iii) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2000
- by Smt. Anjali Rai

(iv) The Delhi Jal Board (Amendment) Bill, 2000
- by Sh. Mukesh Sharma

(v) The Delhi Women Reservation Bill, 2000
- by Sh. Mukesh Sharma

The Committee unanimously decided that the Bills at Serial numbers (i), (ii), (iii) and (v) may be introduced in the House on the Private Members' Day.

As regards the Fifth Bill (at S. No.(iv), the Committee felt that as advised by the Law Department, if an MLA is to be made the Chairman of the Board and given perks and facilities, then he might become holder of the Office of Profit and might incur a disqualification for being an MLA, hence this Bill may not be introduced in the House.

PENDING PRIVATE MEMBER BILLS

The Committee was apprised of the position of the following four Bills which were pending from previous Sessions :-

1. The Delhi Adoption of Punjabi and Urdu as Second Official Languages Bill, 1999
- by Smt. Kiran Choudhry

The Committee was informed that Government Bill on the subject has received the Central Government's approval and it is likely to be introduced in this Session.

2. The Delhi Population Control Bill, 1999
- by Smt. Kiran Choudhry

The Committee was informed that the Minister concerned has suggested that the Bill may be listed for consideration and he will then reply to the debate and request the member to withdraw this Bill.

3. The Members of Legislative Assembly of NCT of Delhi (Salary, Allowances, Pensions, etc.) (Amendment) Bill, 1999
- by Sh. Mukesh Sharma

The Committee was informed that prior approval of the Central Govt. and recommendation of the L.G. is required for introduction of this Bill and the Secretariat has already requested the concerned department to obtain necessary recommendation.

4. The Delhi Compulsory Physical and Sports Education Bill, 1999
- by Sh. Mukesh Sharma

This Bill has already been introduced and can be listed for consideration only when L.G. recommends the consideration of the Bill under Section-22 of the NCT Act. The Department has been asked to obtain the recommendation of L.G. Department's reply is awaited.

The Committee authorised Sh. Mangat Ram Singhal and in his absence Sh. Ram Bhaj to present its Report to the House.

(CH. PREM SINGH)
CHAIRMAN
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER
BILLS AND RESOLUTIONS

DELHI
21 March, 2000